अनुपूरक पुष्टाहार

वर्तमान समय में 897 परियोजनाओं के स्वीकृत 151469 आंगनवाड़ी केन्द्रों के सापेक्ष संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 03 वर्ष आयु के शत–प्रतिशत बच्चों को 80 ग्राम प्रति बच्चा, प्रतिदिन वीनिंग फूड देकर 94.17 लाख लाभार्थी को तथा 427 परियोजनाओं के स्वीकृत 69969 के सापेक्ष संचालित 68000 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर (विकेन्द्रीकृत परियोजनाओं को छोड़कर) 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को 80 ग्राम की दर से 38.76 लाख एवं गर्भवती/धात्री/किशोरी बालिकाओं को 160 ग्राम प्रति लाभार्थी, प्रतिदिन के हिसाब से 18.36 लाख लाभार्थियों को एमाईलेज रिच इनर्जी फूड साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शनिवार को वितरित करते हुए कुल 151.29 लाख लाभार्थी अनुपूरक पुष्टाहार से लाभान्वित हो रहे हैं।

एमाईलेज रिच इनर्जी फूड एवं वीनिंग फूड में विद्यमान कम्पोजीशन एवं पोषक तत्व का विवरण निम्नवत् है :–

I. एमाईलेज रिच इनर्जी फूड

कम्पोजीशन – गेहूं आटा–39.00%, सोया आटा–25.00%, माल्टेड रागी–05.00%, चीनी–30.00% एवं विटामिन मिनरल्स–01.00%

पोषक तत्व – 100 ग्राम मात्रा में – 400 कैलोरी तथा 16 ग्राम प्रोटीन

आपूर्तित मात्रा – औसत 15688.450 एम0टी0 मासिक

II. वीनिंग फूड

कम्पोजीशन – गेहूं आटा–44.60%, सोया आटा–22.50%, चावल आटा–12.50%, चीनी–20.00% एवं विटामिन मिनरल्स–00.40%

पोषक तत्व – 100 ग्राम मात्रा में – 375 कैलोरी तथा 15.9 ग्राम प्रोटीन

आपूर्तित मात्रा – औसत 18488.000 एम0टी0 मासिक

पोषाहार की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त परियोजनाओं के आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष आयु के समस्त बच्चों तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं को गरम पूरक पोषाहार (हॉट कुक्ड फूड Hot Cooked Food) वर्ष 2008–09 तक चरणबद्ध तरीके से निम्न् समय सारिणी के अनुसार लागू किया जाना प्रस्तावित है :–

वित्तीय वर्ष	अवधि	आच्छादित होने वाली परियोजनाओं की संख्या
2007–08	जनवरी, 2008 तक	470
2008–09	जुलाई, 2008	200
2008–09	31 मार्च, 2009 तक	शेष 227 परियोजनाएं

शासन के पत्र संख्या–5432/60–2–07–2/5(235)/01टी0सी0–4, दिनांक 29 जून, 2007 जो मा0 मंत्री जी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की अध्यक्षता में दिनांक 27 जून, 2007 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत चयनित 270 परियोजनाओं पर माह जुलाई, 2007 से 06 माह से 03 वर्ष आयु के शत–प्रतिशत बच्चों को वीनिंग फूड से लाभान्वित किये जाने के क्रम में वीनिंग फूड का वितरण किया जा रहा है। विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व चयनित 270 परियोजनाओं के अतिरिक्त 53 जनपदों की 200 परियोजनाओं को सम्मलित करते हुये माह फरवरी, 08 से कुल 470 परियोजनाओं पर योजना प्रारम्भ की गयी है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में पोषाहार की केन्द्रीयकृत व्यवस्था के स्थान पर विकेन्द्रीकृत व्यवस्था अर्थात आंगनवाड़ी केन्द्र पर ही गरम पूरक पोषाहार तैयार कर आंगनवाड़ी केन्द्र के लाभार्थियों को दिये जाने हेतु पाइलेट बेसिस पर सर्वप्रथम प्रदेश के 05 जनपद उन्नाव,

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image

सहारनपुर, देवरिया, झांसी एवं मथुरा के अन्तर्गत 04–04 बाल विकास परियोजनाओं अर्थात कुल 20 परियोजनाएं चयनित की गयी। इन चयनित परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार तैयार कर लाभार्थियों को आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मातृ समिति का गठन शासन के पत्र संख्या–2091/60–2–06, दिनांक 19 जून, 2006 के परिप्रेक्ष्य में कराते हुए माह जनवरी, 2007 से प्रारम्भ किया गया।

वर्ष 2006–07 में पाइलेट बेसिस पर चयनित 20 परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार के रूप में लाभार्थियों को वितरित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निदेशालय पत्र संख्या सी–1532/बा0वि0परि0/योजना–109/2006–07, दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 द्वारा सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भेजे गये।

फूड एवं न्यूट्रीशन बोर्ड, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लखनऊ के द्वारा तैयार रेसिपी जो परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभार्थियों को हॉट कुक्ड के रूप में माह में 25 दिन उपलब्ध कराया गया जिसमें 06 दिन के लिए 06 रेसिपी निर्धारित की गयी।

विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के कार्यान्वयन के अध्ययन हेतु राजस्थान एवं बिहार राज्य के लिये निदेशालय स्तर की दो सदस्यीय टीम के व पाइलेट जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर निम्न् तीन प्रकार की रेसिपी निर्धारित की गयी :–

क्र.सं.	रेसिपी का नाम	रेसिपी में प्रयुक्त अवयय, मात्रा प्रति लाभार्थी हेतु		
1	खिचड़ी	मूंग/अरहर दाल–30 ग्राम	चावल–60 ग्राम	तेल–2.5 ग्राम, नमक स्वादानुसार
2	दलिया मीठा/नमकीन	दलिया–70 ग्राम	चीनी–25 ग्राम/नमक स्वादानुसार	तेल–5 ग्राम
3	स्थानीय मौसमी उपलब्ध फल/सब्जी को मिश्रित करते हुए तैयार खाद्य पदार्थ यथा (सत्तू, चूरा मटर, पोहा आदि स्थानीय रूचि के अनुसार)			

उक्त योजना के अन्तर्गत वर्तमान में आच्छादित प्रदेश की 470 परियोजनाओं के संचालित 81500 आंनगवाड़ी केन्द्रों पर गरम पूरक पोषाहार का वितरण फरवरी, 2008 से हो रहा है जिसके लिए प्रति लाभार्थी भारत सरकार के द्वारा निर्धारित दर रू0 2.00 प्रति बच्चा, रू0 2.30 गर्भवती/धात्री एवं किशोरी बालिकाओं तथा रू0 2.70 अति कुपोषित की दर से व्यय करने के लिए दिशा–निर्देश सम्बन्धित जनपदों को भेजे गये हैं इस प्रकार 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के 46.46 लाख बच्चों को गरम पूरक पोषाहार प्रतिदिन तथा 22.00 लाख गर्भवती/धात्री एवं किशोरी बालिकाओं को साप्ताहिक रूप से उपरोक्त रेसिपी का खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुये कुल 68.46 लाख लाभार्थियों को विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

इसी प्रकार प्रदेश की कुल स्वीकृत 897 परियोजनाओं के संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार (एमाईलेज रिच इनर्जी फूड एवं वीनिंग फूड)/गरम पूरक पोषाहार (हॉट कुक्ड फूड) से लगभग 219.75 लाख लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ईधन, बर्तन एवं माइक्रोन्यूट्रीएन्ट की व्यवस्था के लिए कन्वर्जन कास्ट का प्रस्ताव पत्र संख्या–419, दिनांक 26 जुलाई, 2007 द्वारा शासन सन्दर्भित किया गया जिसका अनुस्मारक निदेशालय पत्र सं0 : 62/बा0वि0परि/योजना–126/2008–09 दिनांक 21.04.2008 द्वारा शासन को भेजा गया है।

created using
BCL easyPDF
Printer Driver
Click here to purchase a license to remove this image